प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: जी0आ0-9/सम्प्रेक्षा/म0मा0आ0/2010-11, लखनऊ, दिनांक: 18 मई, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश सं0-348/26-ब0-प्र0-2010 -01(बजट)/2010 दिनांक 26.04.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 1,25,00,00,000/- (रू0 एक अरब पच्चीस करोड़) स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखी गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि संलग्नक के कॉलम-3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवटित की जा रही है :-

1. आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।
2. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय/उपयोग के लिये एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
3. आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
4. आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।
5. आवंटन में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का विचलन होता है तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखा शीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–06–आवास योजना–27 सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।
7. आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर सं0 एवं दिनांक सहित बिलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ–180 पर कर ली गई है।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

17/5/10

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

<u>पत्रांकः जी0ओ0–9/सम्प्रेक्षा/म0मा0आ0/2010–11, लखनऊ, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0 प्र0।
5– समस्त कोषाधिकारी, उ0 प्र0।
6– वित्त(वित्त नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग–2
7– नियोजन अनुभाग–4
8– ग्राम्य विकास अनुभाग–3/4
9– विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 के शासनादेश सं0 348/26–ब0–प्र0–2010 –01(बजट)/2010 दिनांक 26.04.2010 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्र संख्या जी0आ0–9/सम्प्रेक्षा/म0मा0आ0यो0/2010–11 दिनांक 18 मई, 2010 का संलग्नक

महामाया आवास योनजार्न्तगत धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रू0 मे)

क्रम सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि
1	2	3
1	MEERUT	0.00
2	GHAZIABAD	14.85
3	BULANDSHAHAR	85.05
4	G B NAGAR	4.05
5	BAGPAT	2.25
6	SAHARANPUR	148.95
7	MUZZAFARNAGAR	47.25
8	MORADABAD	63.90
9	BIJNOR	99.90
10	RAMPUR	43.20
11	JYOTIBAFULEY NAGAR	14.85
12	BAREILLY	129.60
13	BADAUN	200.70
14	SHAHJAHANPUR	444.15
15	PILIBHIT	136.80
16	AGRA	36.45
17	FIROZABAD	33.30
18	MAINPURI	87.30
19	MATHURA	83.70
20	ALIGARH	70.65
21	ETAH	40.05
22	HATHRAS	7.20
23	KANSHIRAMNAGAR	38.70
24	JHANSI	135.800
25	JALAUN	79.540
26	LALITPUR	130.950
27	BANDA	156.170
28	HAMIRPUR	43.650
29	MAHOBA	82.450
30	CHITRAKOOT	207.890
31	ALLAHABAD	265.05
32	FATEHPUR	489.15
33	PRATAPGARH	337.95
34	KAUSHAMBHI	161.55
35	KANPUR NAGAR	69.75
36	KANPUR DEHAT	250.20
37	ETAWAH	80.10

पत्र संख्या जी0ओ0–9/सम्प्रेक्षा/म0मा0आ0यो0/2010–11 दिनांक 18 मई, 2010 का संलग्नक

महामाया आवास योनजार्न्तगत धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रू0 मे)

क्रम सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि
1	2	3
38	FURRUKHABAD	70.20
39	KANNAUJ	131.85
40	ORRIYA	49.05
41	VARANSI	115.20
42	GHAZIPUR	211.50
43	JAUNPUR	516.15
44	CHANDAULI	29.25
45	MIRZAPUR	162.45
46	SONBHADRA	14.40
47	SANT R. NAGAR	110.70
48	LUCKNOW	259.20
49	SITAPUR	867.60
50	UNNAO	308.70
51	HARDOI	555.30
52	LAKHIMPUR KHERI	883.80
53	RAEBAREILLY	228.60
54	GORAKHPUR	175.05
55	DEORIA	40.95
56	KUSHINAGAR	76.95
57	MAHRAJGANJ	245.25
58	BASTI	139.50
59	SIDHARTHA NAGAR	178.65
60	SANT KABIR NAGAR	121.50
61	AZAMGARH	303.75
62	MAUNATH BHANJAN	193.05
63	BALLIA	527.40
64	FAIZABAD	149.85
65	BARABANKI	527.40
66	SULTANPUR	547.20
67	AMBEDKAR NAGAR	148.50
68	BAHRAICH	6.75
69	GONDA	240.30
70	SHRAVASTI	29.70
71	BALRAMPUR	11.25
	State Total ::	12500.00

(रू0 एक अरब पच्चीस करोड़)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

संख्या- 348 /26-ब0प्र0-2010-01(बजट)/2010

प्रेषक,

भवनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 26 अप्रैल, 2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-30/सम्प्रेक्षा/महा0आ0यो0/2010-11 दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 125,00,00,000/- (रू0 एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

2-. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित क़िया जायेगा ।

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।

5- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशो के अनुसार किया जायेगा ।

6- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-आवास योजना-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

(अनुराग यादव)
प्रभारी आयुक्त
ग्राम विकास, उ0प्र0

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या- (1)/26-ब0प्र0-2010-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/नियोजन अनु0-3/रा0यो0 आयोग-2
8- एन0आई0सी0 की प्रति/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।